Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की दयनीय स्थिति और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Contact Details of District Legal Services Authorities & Secretaries

S.N.	DISTRICT	STD Code	Office DLSA	Official Mobile	Help Line No.
1	AJMER	0145	2943811	9358865706	8306002101
2	ALWAR	0144	2940098	9358865707	8306002102
3	BALOTRA	02988	220970	9358865708	8306002103
4	BANSWARA	02962	241547	9358865710	8306002104
5	BARAN	07453	237186	9358865711	8306002105
6	BHARATPUR	05644	228870	9358865712	8306002106
7	BHILWARA	01482	230199	9358865713	8306002107
8	BIKANER	0151	2970623	9358865714	8306002108
9	BUNDI	0747	2442533	9358865715	8306002109
10	CHITTORGARH	01472	294210	9358865716	8306002112
11	CHURU	01562	294594	9358865718	8306002110
12	DAUSA	01427	223029	9358865719	8306002114
13	DHOLPUR	05642	220162	9358865720	8306002115
14	DUNGARPUR	02964	233078	9358865721	8306002116
15	GANGANAGAR	0154	2944888	9358865722	8306002117
16	HANUMANGARH	01552	294199	9358865723	8306002118
17	JAIPUR METRO-I	0141	2200576	9358865724	8306002119
19	JAIPUR METRO-II	0141	2947155	9358510180	8306006150
18	JAIPUR DISTRICT	0141	2203090	9358865725	8306002120
19	JAISALMER	02992	294676	9358865726	8306002123
20	JALORE	02993	294337	9358865727	8306002126
21	JHALAWAR	07432	294065	9358865728	8306002127
22	JHUNJHUNU	01592	294040	9358865729	8306002128
23	JODHPUR METRO	0291	2540351	9358865730	8306002021
24	JODHPUR DISTRICT	0291	2943451	9358865731	8306002129
25	KARAULI	07464	251108	9358865732	8306002130
26	KOTA	0744	2321096	9358865733	8306002131
27	MERTA	01590	220110	9358865734	8306002132
28	PALI	02932	294035	9358865735	8306002166
29	PRATAPGARH	01478	220302	9358865736	8306002134
30	RAJSAMAND	02952	221000	9358865738	8306002135
31	SAWAI MADHOPUR	07462	294301	9358865739	8306002136
32	SIKAR	01572	270048	9358865740	8306002137
33	SIROHI	02972	294048	9358865742	8306002138
34	TONK	01432	294603	9358865743	8306002139
35	UDAIPUR	0294	2940382	9358865744	8306002022
36	RHCLSC, Jodhpur	0291	2888047	9358865703	8306002140
37	RHCLSC, Jaipur	0141	2227481	9358865702	8306002122

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की दयनीय स्थिति और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास

ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उन लोगों के रूप में माना जाता है, जिनकी लिंग पहचान उस लिंग से भिन्न होती है, जिसे वे जन्म के समय मानते थे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ है, "एक व्यक्ति, जिसका लिंग उस लिंग से मेल नहीं खाता है, जो उन्हें उनके जन्म के समय उसे सौंपा गया था, लेकिन वे इंटर सेक्स भिन्नता और लिंग–भेद वाले व्यक्ति हैं"।

ये वह लोग हैं, जो पुरुष या महिला शरीर रचना के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वे अपने शरीर की संरचना से अलग महसूस करते हैं क्योंकि उनकी लिंग अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार उनके जन्म के लिंग से भिन्न होता है।

समाज में भेदभाव की स्थिति

भारतीय समाज में आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में ट्रांसजेण्डर के साथ भेदभाव किया जाता है। जब किसी ट्रांसजेण्डर के द्वारा किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया जाता है तो उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करें, किन्तु यदि शिक्षण संस्थान में उसके लिंग के आधार पर उसके साथ असमानता बढ़ती जाती है तो ऐसी स्थिति में वह बालक अपने आप को कलकिंत व अलगाव महसूस करता है।

इसी प्रकार रोजगार स्थल पर भी ट्रांसजेण्डर को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आवेदन करने से लेकर नियुक्ति के हर चरण तक उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। सामान्य समाज में कोई भी नियोक्ता ट्रांसजेण्डर को रोजगार देना नहीं चाहता है, जबकि ट्रांसजेण्डर भी शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है। लैगिंक असमानता के कारण उनको रोजगार प्राप्ति के समान अवसर प्राप्त नहीं होते है और मानसिक उत्पीड़न के कारण वे बेरोजगारी व गरीबी की तरफ चले जाते है। केवल पुरुष या महिला लिंग से ही काम पर रखने की नीति के कारण इस समुदाय के एक कुशल व्यक्ति को औपचारिक रोजगार में शायद ही कभी मौका मिलता है। अगर वे ऐसा करते भी हैं, तो उनका उपहास किया जाता है और उन्हें बहिष्कृत किया जाता है और मजबूरी वश उनके द्वारा नौकरी छोड दी जाती है। उन्हें यौन कार्य के लिए मजबूर किया जाता है, जो उन्हें एचआईवी के उच्चतम जोखिम में डालता है। उन्हें समाज में एचआईवी के 'वैक्टर' के रूप में देखा जाता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधाओं में भी असमानताओं का सामना करना पड़ा है और आवश्यक स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवाओं में बाधा के कारण उन्हें अवसाद, आत्महत्या का प्रयास, हिंसा और उत्पीड़न की स्थिति का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को भी समुचित उपचार नहीं मिल पाता है।

भारतीय संविधान द्वारा संरक्षण

भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता के न्याय का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 14 में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के अंदर पुरुष, महिला और तीसरा लिंग भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15 में राज्य पर यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नही करेंगा तथा इसके दायरे में तीसरा लिंग शामिल है। उन्हें अपनी लिंग अभिव्यक्ति की रक्षा करने का अधिकार है जो उनके पहनावे, कार्य और व्यवहार के माध्यम से प्रमुख रूप से दर्शित होती है।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है तथा भारत के नागरिक होने के नाते ट्रांसजेंडर को रोजगार के मामले में समान अवसर का अधिकार है और यौन अभिविन्यास के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19 (1) के तहत प्रत्यक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार आने–जाने की तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है एवं अनुच्छेद 19 (2) में विहित प्रतिबंधों के अधीन किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति या कपड़ों की पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता, अन्यथा नही। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की मूल धूरी है और प्रत्येक व्यक्ति शब्दावली में ट्रांसजेण्डर भी शामिल है। प्रत्येक ट्रांसजेण्डर अन्य व्यक्तियों के समान स्वतंत्रता का अधिकार रखता है।

विधायिका द्वारा संरक्षण

लंबे समय से समाज द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव और उपेक्षा की जाती रही है, लेकिन उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें भेदभाव से बचाने के लिए विधायिका द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया है। यह अधिनियम उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और सुखी जीवन जीने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार :

1. समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं और उपाय तैयार करना चाहिए।

2. सरकार द्वारा वित्त पोषित (फंडेड) या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान बिना किसी भेदभाव के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए शिक्षा, मनोरंजन सुविधाएं और खेल प्रदान करेंगे।

3. ट्रांसजेंडर के लिए अलग एचआईवी निगरानी केंद्र और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी शामिल होनी चाहिए।

4. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा बीमा भी प्रदान किया जाना चाहिए।

5. कोई भी सरकार या यहां तक कि निजी संस्थाएं रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं, जिसमें भर्ती और पदोन्नति (प्रमोशन) शामिल है।

6. प्रत्येक संस्थान को एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना चाहिए, जो अधिनियम के संबंध में शिकायतों के संबंध में काम करेगा।

7. सरकार के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें वयस्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

8. सार्वजनिक या निजी किसी भी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ गैर–भेदभाव के लिए एक अलग खंड है।

2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (इममोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट) 1956 :

यह कानून एक लिंग तटस्थ कानून (जेंडर न्यूट्रल लॉ) बन गया है। अधिनियम का क्षेत्र अब पुरुष और महिला दोनों यौनकर्मियों के साथ–साथ उन लोगों पर भी लागू होता है जिनकी लिंग पहचान अनिश्चित थी। संशोधन के साथ पुरुष और हिंजड़ा यौनकर्मी दोनों आपराधिक विषय बन गए।

न्यायिक संरक्षण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य याचिका (सिविल) संख्या 400 2012 (नालसा)** के मामले में न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी ने अपने निर्णय में पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग को मान्यता दी थी। न्यायालय ने कहा कि "एक व्यक्ति जिस लिंग से संबंधित है, वह संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाना है।" किसी की लिंग पहचान को चुनने का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों में तीसरी श्रेणी को शामिल करके और शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए हैं।

माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के अर्थ की व्याख्या की और कहा कि अनुच्छेद **'किसी भी व्यक्ति'** को सुरक्षा प्रदान करता है, और यहां "व्यक्ति" में ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल है और देश के अन्य नागरिक की तरह राज्य गतिविधि के क्षेत्र में कानूनी संरक्षण के हकदार हैं। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 केवल पुरुष या महिला के जैविक लिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य उन लोगों को भी शामिल करना है जो खुद को न तो पुरुष मानते हैं और न ही महिला। अनुच्छेद 19(1) और 19 (2) के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व को ट्रांसजेंडर के व्यवहार और प्रस्तुति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का इस दिशा में कदम

भारतीय संविधान के तहत विधि का शासन और प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण प्राप्त है तथा विधायिका द्वारा उनके क्षेत्र में विधि भी बनायी गयी है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गयी है, किन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के हर हिस्से से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और भेदभाव से लड़ना पड़ता है, चाहे वह उनका अपना परिवार और मित्र हों या बड़े पैमाने पर समाज ही क्यों न हो। ट्रांसजेंडर लोगों का जीवन एक दैनिक लड़ाई है, क्योंकि उन्हें कहीं भी स्वीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उनका उपहास भी किया जाता है।

ट्रांसजेण्डर के संविधानिक अधिकारों के संरक्षण एवं उनके विधिक अधिकारों की सुनिश्चिता हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दृढ़संकल्पित एवं प्रयासरत है। समाज की मुख्य धारा में ट्रांसजेण्डर अपने आप को जोड़कर गरिमामय तरीके से जीवनयापन कर सके, इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर एवं अग्रसर है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास है कि

1. **संवेदनशील वातावरण :** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि समाज में सभी वर्गों के साथ संवाद स्थापित कर ट्रांसजेण्डर के प्रति संवेदनशीलता बढायी जावे। समाज में ऐसी जन जागरूकता पैदा की जावे, ताकि ट्रांसजेंडरों को अहसास हो कि वे समाज का हिस्सा हैं और अछूत नहीं है।

2. **शैक्षणिक सुलभता :** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले ट्रांसजेण्डर का प्रवेश सुनिश्चित किया जावें। उनके साथ विद्यालय में शिक्षा, खेल एवं मनोरंजन के मामले में समानता रखी जावे। उनके दाखिले में कोई बाधा नहीं आवे। विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से प्रत्येक शिक्षण संस्थान में ट्रांसजेण्डर व्यक्ति या उनके परिवार के बच्चों को संबल प्रदान किया जावे। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार रखा जावे कि कोई भी बालक अपने आप को उपेक्षित नहीं समझे तथा बिना किसी हीन भावना के शिक्षित होकर समाज का नवनिर्माण कर सकें।

3. **रोजगार के अवसर :** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि प्रत्येक ट्रांसजेण्डर को रोजगार के समान अवसर प्रदान हो तथा नियुक्ति स्थल पर उसके साथ कोई भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जावे। आवेदन करने से लेकर नियुक्ति के हर चरण तक उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जावें।

4. **प्रभावी उपचार :** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि प्रत्येक राजकीय एवं निजी अस्पताल में राजकीय योजनाओं के तहत ट्रांसजेण्डर को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क उपचार मिले। राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करें। यदि कोई ट्रांसजेण्डर एचआईवी की बीमारी से पीड़ित है तो उसकी गोपनीयता रखते हुए उसको योजनाओं के तहत बिना किसी असमानता के निःशुल्क उपचार देवें।

5. **अनुकुल वातावरण :** सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रांसजेण्डर को भी अवकाश, संस्कृति और मनोरंजन का अधिकार है। तदानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि सभी ट्रांसजेण्डर को रोजगार स्थल एवं मनोरंजन स्थलों पर उनको बिना किसी बाधा के प्रवेश मिले।

6. **बुनियादी सुविधाऐं :** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि ट्रांसजेण्डर को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता जैसे बुनियादी अधिकार प्राप्त हो। उनके लिए अलग से सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हो।

7. **मनोचिकित्सकीय परामर्श** : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि यदि कोई ट्रांसजेण्डर अवसाद की स्थिति में है तो उसको मनोचिकित्सकीय परामर्श देकर उसके भय को दूर किया जावे, ताकि वह लिंग डिस्पोरिया, शर्म, अवसाद एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि से निपट सकें।

8. **कार्यशाला एवं बैठक :** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत है कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, चिकित्सकीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, लोक अभियोजक तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर राज्य स्तर पर एक कार्यशाला/सेमीनार आयोजित की जावे, जिसमें ट्रांसजेण्डर के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की रूपरेखा बनायी जा सके।

9. **विधिक सहायता :** यदि किसी स्थान पर ट्रांसजेण्डर के साथ शिक्षण संस्थान, रोजगार स्थल, अस्पताल या कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई अप्रिय घटना कारित की जाती है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनको अविलम्ब विधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है।

❖❖❖❖❖❖❖

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602

Toll Free Help Line 15100/9928900900

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in

website: www.rlsa.gov.in